

पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

III. क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

नहीं

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

I. क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।

सिविल क्षेत्र में

II. अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।

हुडको सिविल क्षेत्र (संलग्न)

III. क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।

संलग्न

I. रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

संलग्न

II. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

733500/-

III. क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं)।

संलग्न है

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

नहीं

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

टिप्पणी-जनहित के प्रस्ताव की संरक्षक की जाती है

स्थान:

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रातारीख:

उप प्रभागीय वनाधिकारी
टोन्स वन प्रभाग पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
टोन्स वन प्रभाग
पुरोला (उत्तराखण्ड)